

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

टेलीफोन नं. 0141-2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141-2707679, ई-मेल:-rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक:- प7- (जी.एल.टी)रा.मु./2017-18/177

दिनांक: 7/4/2017

विषय :- फ्लॉक एवं गाइड यूनिट लीडर एडवांस कोर्स

महोदय/महोदया,

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय के तत्वावधान में वर्ष 2017-18 के वार्षिक कार्यक्रमानुसार फ्लॉक एवं गाइड कैप्टिन एडवांस कोर्स का आयोजन दिनांक 18 से 24 मई 2017 तक आबूपर्वत पर किया जाना निश्चित किया गया है। आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है :-

1. शिविर का नाम :- फ्लॉक एवं गाइड यूनिट लीडर एडवांस कोर्स
2. तिथियां :- दिनांक 18 से 24 मई 2017
3. स्थान :- स्काउट गाइड प्रशिक्षण केन्द्र नं. 1, ओल्ड गोल्फ मैदान, केन्द्रीय बस स्टेण्ड के पास, आबूपर्वत (सिरोही) फोन नं. 02974-238662 मोबाइल नं. 8003097176
4. योग्यता :- 1. नियुक्ति पत्र प्राप्त सक्रिय गाइडर हों।
2. बेसिक कोर्स के बाद कम से कम 6 माह तक अपनी यूनिट के साथ सफलतापूर्वक कार्य किया हो।
3. पूर्ण स्वस्थ हो, शिविर का श्रम वहन कर सकें।
5. शुल्क :- 1. विकास शुल्क 200.00 रु.
2. विशेष शुल्क 80.00 रु.
योग 280.00 रु.
6. पंजीकरण :- पंजीकरण हेतु आवेदन अपने मण्डल मुख्यालय को दिनांक 30.4.17 तक भिजवाना है तथा मण्डल मुख्यालय अपने क्षेत्र के आवेदन पत्र प्राप्त करके दिनांक 5.5.17 तक राज्य मुख्यालय को भिजवावें।
7. आवश्यक सामग्री :- सभी संभागी गाइडर ए.पी.आर.ओ. भाग 3 के अनुसार पूर्ण एवं सही यूनिफार्म साथ लावें। मौसम के अनुसार बिस्तर, बदलने के कपड़े, स्वयं खाना खाने व चाय पीने के बर्तन, टार्च, नित्य उपयोग की सामग्री, स्काउट/गाइड साहित्य प्रशिक्षण शिविरों की नोटबुक पेन-पेंसिल, स्केल एवं विशेष जरूरत के अनुसार आवश्यक सामग्री।
8. यात्रा व्यय :- संभागियों को यात्रा व्यय का भुगतान संबंधित विभाग से राजकीय नियमानुसार राजकोष से देय होगा
9. भोजन व्यवस्था :- शिविर नियमानुसार टोली विधि द्वारा की जा सकेगी।
10. आवंटित कोटा :- मण्डलवार कोटा निम्नानुसार है-

| | अजमेर | भरतपुर | बीकानेर | जयपुर | जोधपुर | कोटा | उदयपुर | |
|-------|-------|--------|---------|-------|--------|------|--------|---------|
| फ्लॉक | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | योग= 24 |
| गाइड | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | योग= 48 |

11. विशेष :- गाइड ऑर्गेनाइजर के कार्यक्षेत्र से गाइडर की सहभागिता अनिवार्य है।
शिविरावधि में शिविर केन्द्र छोड़ने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।
विलम्ब से आने वाली गाइडर को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
शिविर में किसी भी अन्य सदस्य को साथ नहीं लावें। सम्भागी बेसिक कोर्स के प्रमाण पत्र की प्रति साथ लेकर आवें। अन्यथा शिविर में स्वीकार नहीं किया जावेगा।
सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित वेशभूषा साथ लेकर आये।

क्रमांक:- प7- (जी.एल.टी)रा.मु./2017-18/177-183

1. राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण।
2. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा.....
3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
4. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का/गा) को भेजकर लेख है कि आवंटित संख्या एवं निर्धारित योग्यतानुसार गाइडर्स को कोर्स में सम्मिलित कराएं।
5. सर्कल आर्गेनाइजर (स्का/गाइड) समस्त जयपुर, अपने जिले की सहभागिता सुनिश्चित करें।
6. लेखाकर, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, राज्य मुख्यालय, सभी मण्डल एवं जिलों पर परिपत्र ईमेल करें तथा वेबसाइट पर डालें।

राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)
दिनांक: 7/4/2017

राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)